an>

Title: Regarding increasing cases of addiction among children in the country.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, इस देश में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में जो सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है, वह ड्रग्स की समस्या है। स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। एक सर्वे अभी आया है और वह सर्वे यह कह रहा है कि जो 35 से 40 परसैन्ट बच्चे हैं, उन्होंने 18 साल के पहले किसी न किसी ड्रग का सेवन किया है और वह ड्रग्स कोकीन, हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम, शराब और भांग आदि हैं। एक राजनीति के तहत जो बातें हो रही हैं, उसमें शराबबंदी लागू हो रही है। हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, इस देश में पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी के बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग गांजा पी रहे हैं, लोग भांग खा रहे हैं, लोग कफ का सिरप बेनाड्रिल या कोरेक्स पी रहे हैं और लोग टेबलेट आदि का भी सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इस देश में कोई कानून नहीं है। इसके अलावा जो स्कूली लड़के, लड़कियां हैं, स्कूल के बाहर चाहे वह महानगरों की स्थिति हो, चाहे ग्रामीण जगहों की स्थिति हो, उन सभी महानगरों में जो छोटी-छोटी दुकाने हैं, आइसक्रीम वाले हैं, कोई पार्लर वाले हैं या झालमुरी आदि बेचने वाले हैं, वहां ड्रग्स की बड़ी सप्लाई हो रही है।

दूसरा इस देश में कम से कम दस करोड़ लोग स्ट्रीट पर रहते हैं और उनमें कम से कम एक करोड़ लोग जो उनके बच्चे हैं, वे एचआईवी पीड़ित होते हैं, वे ड्रग्स यूज़ करते हैं। यदि आप किसी महानगर के किसी पार्क में चले जायेंगे तो आपको रात में स्मैकियों और गांजा आदि पीने वालों की भीड़ दिखाई देगी। इसी तरह से जैसे आपने पठानकोट की स्थिति देखी। एनआईए क्या कर रही है, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। लेकिन जो एस.पी. की बात आई या आज बी.एस.एफ. के बारे में मेल टुडे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि इस तरह के लोग कहीं न कहीं तस्करी में लिप्त हैं।

महोदया, मेरा यह मानना है कि जो अधिकारियों का गठजोड़ है, जो यहां के लोगों का गठजोड़ हैं तथा नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज के लोग यहां रहते हैं, वे सब भी कहीं न कहीं ड्रग्स के कारोबार में लिप्त रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमारी स्थिति अमरीका से भी ज्यादा भयावह है। हमारे यहां 55 हजार बच्चे प्रतिदिन स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं, जबकि अमरीका में यह तीन हजार है। सारी सरकारें एक राजनीति के तहत शराबबंदी की घोÂ◌ाणाएं कर रही हैं, जैसे केरल में अभी दस साल में शराबबंदी कर देंगे, बिहार में शराबबंदी कर दी।

दुनिया में हमारे यहां सबसे कमजोर ड्रग्स का लॉ है। एनडीपीएस एक्ट, सन् 1988 जो है, यह किसी भी ड्रग वाले को फांसी की सजा नहीं देता है जब कि सिंगापुर जैसा देश है, दुबई जैसा मिडल ईस्ट जैसा देश है, जहां पर फांसी की सजा है। इस कारण से हमारे देश में ड्रग्स के प्रति लोगों का झुकाव, खास कर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का झुकाव बढ़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एनडीपीएस एक्ट, सन् 1988 में संशोधन किया जाए और जो भी ड्रग के कारोबार में लिप्त हैं या जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, उन सभी को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि यह हो जाएगा तभी इस देश में पूर्ण शराबबंदी और ड्रग के विरुद्ध हम काम कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री दुÂष्यंत चौटाला, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री पी.पी.चौधरी, श्री चिन्तामन नावाशा वांगा, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राजन विचारे, श्री कामाख्या प्रसाद तासा, श्री लक्ष्मी नारायण यादव एवं श्री जनार्दन मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।